पी. सी जी.

(पूर्ण पीठ)

समक्ष : एम आर अग्निहोत्री, आर एस मौंगिया और बी *एस नेहरा, माननीय न्यायमूर्ति*

श्रीमती चेतना शर्मा और अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और एक अन्य - *उत्तरदाता।*

1991 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 11995

5 सितंबर, 1991

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227–पंजाब *इंजीनियरिंग* कॉलेज, *चंडीगढ़ का सत्र 1991-92 के लिए विवरण-छात्रों के* प्रवेश *और रैंकिंग का मूल्यांकन-खिलाड़ियों को महत्व बरकरार-खिलाड़ियों के लिए विभिन्न* शाखाओं में *5 प्रतिशत सीटें आवंटित-सामान्य श्रेणी को खाली सीटें आवंटित की जाएंगी।*

(1) यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए वेटेज के संबंध में प्रतिवादी-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपनी विवरण पत्रिका में निर्धारित मानदंडों को चुनौती दी गई है, उसी को खारिज कर दिया गया है और हम सत्र के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा प्रकाशित अपनी विवरण पत्रिका में प्रतिवादी द्वारा निर्धारित मानदंडों को बनाए रखते हैं। (2) जहां तक खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को वर्गीकृत करके उनकी श्रेणीकरण का संबंध है, प्रत्यर्थियों

को निर्देश दिया जाता है कि वे 30 मई, 1990 (1990 एस. *एल. आर.* (5) *658) को तय किए गए 1989 के* सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10022, राजेश कावशिक बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही जारी किए गए निर्देश का सख्ती से पालन करें और तदनुसार खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ सीटों पर प्रवेश करें। (3) जहां तक खिलाड़ी/महिला खिलाड़ियों की आरक्षित श्रेणी के खिलाफ प्रवेश के उद्देश्यों के लिए 'निशानेबाजी' के खेल/अनुशासन को शामिल नहीं करने के खिलाफ शिकायत का संबंध है, हम इसे पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय का मामला नहीं मानते हैं और इसी कारण से, निर्देश देते हैं कि सी.डब्ल्यू.पी. 1991 की संख्या 10758 (निश्चल गुप्ता बनाम यू.टी. चंडीगढ़ और अन्य) को 11 सितंबर, 1991 को निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा; और (4) इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में खेल श्रेणी में सीटों का आवंटन प्रत्येक शाखा में सीटों का 5 प्रतिशत होगा। 0.5 या उससे ऊपर के अंश को पूर्णांकित किया जाएगा। यदि किसी भी शाखा में खेल श्रेणी की कोई सीट खाली रह जाती है, तो इसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जाएगा।

(पैरा 1)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 *के तहत सिविल रिट याचिका में* प्रार्थना की *गई है कि मामले के पूरे रिकॉर्ड* को मंगाया जाये हैः–

(i) खिलाड़ियों/महिलाओं *के लिए आरक्षित सीटों में छात्रों की अंतर-श्रेणी के प्रवेश और मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनाए गए मानदंडों को रद्द* करते हुए *सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट, जारी किया जाये ;*

(ii) पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार *और 1990 (5) एस. आई. आर. पृष्ठ 658 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस माननीय न्यायालय के फैसले के अनुपालन में खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश करने के लिए प्रतिवादी परमादेश देने वाली* अनिवार्य *प्रकृति की* एक

रिट जारी की जाये।

(iii) *प्रतिवादी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रत्येक शाखा में खिलाड़ियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद विभिन्न* शाखाओं *में सीटें भरने का निर्देश दिया जाए और विभिन्न शाखाओं को सीटें आवंटित करने के मनमाने मानदंड को निरस्त कर दिया जाए।*

(iv) *इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है जो उसे उचित लगे;*

(v) *उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस को निरस्त किया जाये ;*

(vi) *अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने में छूट दी जाए।*

(vii) *याचिका का खर्च कृपया याचिकाकर्ताओं को दिलाया जाये।*

याचिकाकर्ता की ओर से श्री जी. एस. गिल और अधिवक्ता एच. एस. सेठी के *साथ अधिवक्ता पी. एस. पटवालिया।*

प्रतिवादीओं की तरफ़ से अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जी. एस. संधवालिया और श्री मनीष जैन, अधिवक्ता

निर्णय

एम आर अग्निहोत्री, माननीय न्यायमूर्ति

बाद में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करके 1991 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11995,10758,12052 और 12072 का निपटारण करते हैंः–

(1) जहां तक, प्रतिवादी-केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपने प्रॉस्पेक्टस में खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए वेटेज के संबंध में निर्धारित मानदंडों चुनौती दी गई है उसका जवाब दिया गया है और हम सत्र के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रकाशित अपने प्रॉस्पेक्टस में प्रतिवादी द्वारा निर्धारित मानदंडों को बनाए रखते हैं।

(2) इसलिए, जहां तक खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए उनकी उपलब्धियों को वर्गीकृत करके श्रेणीकरण का संबंध है, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे राजेश कौशिक बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ और अन्य *(1) के* मामले *में इस अदालत द्वारा पहले से* जारी निर्देश का सख्ती से पालन करें, ताकि तदनुसार आरक्षित एफ. बी. आर. खिलाड़ियों/खिलाड़ियों की सीटों पर प्रवेश किया जा सके; और

(3) जहां तक खिलाड़ियों/खिलाड़ियों की आरक्षित श्रेणी के खिलाफ प्रवेश के प्रयोजनों के लिए 'शूटिंग' के खेल/अनुशासन को शामिल न करने की शिकायत का सवाल है, हम इसे पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए मामला नहीं मानते हैं। इस

कारण से, निर्देश दिया कि सी.डब्ल्यू.पी. 1991 की संख्या 10758 (निश्चल गुप्ता बनाम यू.टी. चंडीगढ़ और अन्य) को 11 सितंबर, 1991 को निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

(4) इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में खेल श्रेणी में सीटों का आवंटन प्रत्येक शाखा में सीटों का 5 प्रतिशत होगा। 0.5 या उससे ऊपर के अंश को पूर्णांकित किया जाएगा। यदि किसी भी शाखा में खेल श्रेणी की कोई भी सीट खाली रहती है, तो इसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खुला रखा जाएगा।

(5) खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़